वर्षों से पानी जांचने वालों के पद हैं खाली

केमिस्ट, फिल्टर मीडिया ऑपरेटर, असिस्टेंट मीडिया ऑपरेटर और वॉल्वमैन के पद हैं रिक्त

कैसे मिले स्वच्छ जल?

भोपाल, 15 जनवरी. राजधानी में शुद्ध पेयजल लोगों तक नहीं पहुच पा रहा है. क्योंकि स्वच्छ पेयजल की जिम्मेदारी नगर निगम में केमिस्ट, फिल्टर मीडिया ऑपरेटर और असिस्टेंट मीडिया ऑपरेटर की होती है और ताज्जुब की बात है कि इन पदों पर वर्षों से भर्ती नहीं हुई है. आज स्थिति यह है कि पानी की शुद्धता जांचने वाला एक भी योग्य अधिकारी-कर्मचारी नहीं है. वहीं फिल्टर प्लांट पर लॉग बुक नहीं है, जिससे पानी के फिल्टर की जानकारी ही नहीं मिल पाती है, इसकी वजह से शहर में अशुद्ध पानी सप्लाई हो रही है. पानी की जांच के लिए बैरागढ़, बीएचईएल, सीएम हाउस के पास यार्डक्लब और पुलबोगदा में चार लैब है और चारों ही जगह महत्वपूर्ण पद खाली है. नगर निगम के सभी वार्डों के लिए एक वालमैन स्वीकृत था ,जो जल प्रदाय के दौरान जनता के घरों में जाकर पानी की शुद्धता की जांच करता था.

लॉग बुक भी नहीं : जानकारी के अनुसार नगर निगम के किसी पंप हाउस पर लॉग बुक नहीं है, जिससे पानी के सप्लाई और फिल्टर की जानकारी विभाग को मिल पाती है. लॉग बुक में पानी की सभी जानकारी इंद्राज की जाती थी, जैसे कितना मिलियन क्यूबिक लीटर पानी फिल्टर हुआ और कितना कचरा निकला. कितना पानी शुद्ध होकर जनता का सप्लाई किया गया. इस वजह से पानी के फिल्टर की जानकारी नहीं मिल पाती है.

पीएचई विभाग से एक केमिस्ट है मर्ज

नगर निगम में पीएचई विभाग से एक केमिस्ट हैं मनोज निगम. जिन्हें नगर निगम में मर्ज किया है. वर्तमान में विधानसभा के सामने स्थित पीएचई के कार्यालय पर बैठते हैं. वहां पर पानी शद्धिकरण की लैब है. नगर निगम के किसी भी लैब पर कार्य नहीं देखते हैं, जबकि उनको नगर निगम से वेतन मिलता है.

किसकी क्या जिम्मेदारी

- **केमिस्ट:** पानी की जांच करना.
- **फिल्टर मीडिया ऑपरेटर:** पंप हाउस पर पानी में क्लोरीन मिलाना.
- **ऑपरेटर :** पानी चालू करना.
- **वॉलमैन :** वॉल्व खोलना और घरों से पानी के सैंपल लेना.
- **लॉग बुक:** पानी की मात्रा का लेखा-जोखा.

इनका कहना है

शासन स्तर पर बात हो रही है. हम बातचीत कर रहे हैं. जल्द ही प्रकिया शुरू होगी.
मालती राय, महापौर, नगर निगम भोपाल

नगर निगम में पेयजल का संघरण और संचालन सही तरीके से नहीं हो रहा है. क्लोरीन की जांच भी नहीं हो पा रही है. इंदौर की घटना के बाद भोपाल में पानी के सैंपल लिए गए सभी फेल पाए गए.
शबिस्ता जकी, नेता प्रतिपक्ष, नगर निगम भोपाल

हनीट्रैप मामले में जांच जारी

नेहा नाम की युवती की पुलिस को तलाश

नवभारत रिपोर्टर

भोपाल, 15 जनवरी. फर्जी पुलिस इंस्पेक्टर बनकर कॉल पर ब्लैकमेलिंग करने वाले आरोपियों की तलाश में कोलार पुलिस जुटी है. हनीट्रैप के सामने आए मामले में 30 वर्षीय सुल्तान खान की मौत के बाद पुलिस नेहा नाम की युवती की तलाश कर रही है. सुल्तान के परिजनों ने पुलिस से आरोपियों की गिरफ्तारी कर कड़ी सजा दिलाने की मांग की है.

कोलार पुलिस को सुल्तान के मोबाइल में आए फोन कॉल और कई धमकी भरे मैसेज मिले हैं. इससे अबतक यह खुलासा हुआ है कि उसे लगातार मानसिक तनाव दिया जा रहा था. मोबाइल में सामने आए कई टेक्स मैसेज गाली-गलौज में देखे गए हैं. इस तनाव को सुल्तान ज्यादा दिन तक नहीं झेल सका और आखिरकार उसने आत्महत्या कर ली. आत्महत्या के इस मामले में फिलहाल कोलार पुलिस जांच कर रही है.

बता दें कि मंगलवार को नगर निगम में वाहन चालक के तौर पर नौकरी करने वाले सुल्तान ने जहरीला पदार्थ खा लिया था. परिजन उसे एम्स अस्पताल लेकर पुहंचे थे. इलाज के दौरान सुल्तान की मौत हो गई. सुल्तान के परिजनों की तरफ से बीते कई महीनों से उसे तनाव में देखे जाने की बात कही जा रही है. परिजनों की तरफ से सुल्तान के मोबाइल में 8 लाख रुपये आरोपियों को देने के स्क्रीनशाट पुलिस को दिखाए गए हैं.

11 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन

कर्मचारी संगठनों ने सरकार पर बनाया दबाव

भोपाल, 15 जनवरी. प्रदेश के नव नियुक्त कर्मचारियों को परिवीक्षा अवधि में पूरे वेतन से वंचित रखने की व्यवस्था एक बार फिर विवाद के केंद्र में आ गई है. इस मुद्दे के साथ 11 सूत्रीय मांगों को लेकर कर्मचारी संगठनों ने गुरुवार को भोपाल सहित पूरे मध्यप्रदेश में एक साथ विरोध प्रदर्शन किया. राजधानी में कर्मचारी सतपुड़ा भवन के सामने एकत्र हुए नारेबाजी की और बाद में मंत्रालय पहुंचकर मुख्य सचिव के नाम ज्ञापन सौंपा.

कर्मचारी संगठनों का कहना है कि वे लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर सरकार से आग्रह कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया. कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में केंद्र सरकार के समान महंगाई भत्ता, कैशलेस स्वास्थ्य बीमा, और पुरानी पेंशन योजना शामिल हैं.

कर्मचारी नेताओं का कहना है कि एक ही पद पर काम करने के बावजूद नए कर्मचारियों को तीन साल तक कम वेतन देना न सिर्फ आर्थिक शोषण है, बल्कि समान कार्य-समान वेतन के सिद्धांत के भी खिलाफ है. उनका तर्क है कि नियुक्ति के दिन से ही कर्मचारी से पूरी जिम्मेदारी ली जाती है, लेकिन उसका पूरा वेतन रोक लिया जाता है.

प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने सरकार के सामने 11 सूत्रीय मांगों की सूची रखी. इनमें महंगाई भत्ता और महंगाई राहत का लाभ, सीपीसीटी की अनिवार्यता समाप्त करना, परिवीक्षा अवधि में कम वेतन की व्यवस्था खत्म करना, पुरानी पेंशन योजना लागू करना, पदोन्नति प्रक्रिया शुरू करना, आउटसोर्स और स्थायी संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण, ई-अटेंडेंस से मुक्ति जैसी प्रमुख मांगें शामिल हैं. कर्मचारी संगठनों ने साफ कर दिया है कि यदि सरकार ने जल्द ही उनकी मांगों पर सकारात्मक फैसला नहीं लिया, तो आने वाले दिनों में आंदोलन को और व्यापक बनाया जाएगा.

कर्मचारियों की मूलभूत मांगें सरकार के पास लंबित

तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ पदाधिकारी ने कहा कि लंबे समय से कर्मचारियों की मूलभूत मांगें सरकार के पास लंबित हैं, लेकिन उन पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया जा रहा. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने जल्द कदम नहीं उठाया तो यह आंदोलन प्रदेशव्यापी और उग्र रूप ले सकता है.

नकाबपोश बदमाशों ने चाकू से किया हमला

भोपाल, 15 जनवरी. शाहजहाँनाबाद इलाके में एक दुकानदार पर नकाबपोश बदमाशों ने चाकू से जानलेवा हमला हुआ. फरियादी दुकानदार फैसल ने मामले की शिकायत पुलिस से की. जानकारी के अनुसार फैसल गोयल कॉम्प्लेक्स के नीचे गरम भट्टी की दुकान चलाता है. गुरूवार को देर शाम दो बदमाश मुंह पर कपड़ा बांधकर फैसल की दुकान पर आये और चाकू मारकर फरार हो गए. चाकू फैसल के दाहिने कान के ऊपर सिर में लगा, जिससे खून निकलने लगा. मामले की शिकायत के बाद शाहजाहांनाबाद पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी है.

किराएदार और नौकर की जानकारी पुलिस को दें

पुलिस आयुक्त ने जारी किए आदेश

भोपाल, 15 जनवरी. पुलिस आयुक्त हरिनारायणचारी मिश्र ने नागरिक सुरक्षा को लेकर आदेश जारी किए हैं. जारी आदेशानुसार कोई भी मकान मालिक जो अपना मकान या उसका कोई भाग किराये पर देते है, तो वह ऐसा करने के एक सप्ताह के भीतर किरायेदार अथवा पेइंगगेस्ट का विवरण निर्धारित प्रारूप में भरकर संबंधित थाने पर या मप्र पुलिस सिटिज़न पोर्टल पर आवश्यक रूप से देंगे.

पूर्व से रह रहे किरायेदार या नौकर का विवरण भी निर्धारित प्रारूप में भरकर यह आदेश जारी होने की दिनांक से 15 दिवस के भीतर में संबंधित थाने पर या पोर्टल पर आवश्यक रूप से दर्ज करें. किसी भी व्यक्ति का घरेलू नौकर या उनका सहायक का विवरण निर्धारित प्रारूप में आवश्यक रूप से संबंधित थाने पर या संबंधित पोर्टल पर देना होगा.

होटल/लॉज/धर्मशाला/रिसर्ट के प्रबंधक/मालिक उनके यहाँ ठहरने वाले व्यक्तियों का व्यक्तिगत विवरण पूर्ण रूप से रजिस्ट्रर में दर्ज करेंगें. इसकी जानकारी निर्धारित प्रारूप में आवश्यक रूप से संबंधित थाने पर जो भी स्थानीय स्तर पर प्रक्रिया निर्धारित की जाये उस अनुसार करें. इसी प्रकार छात्रावास संचालक छात्रावास में रह रहे छात्र/छात्राओं का विवरण निर्धारित प्रारूप में आवश्यक रूप से संबंधित थाने में दें. ठेकेदार/ भवन निर्माणकर्ता निर्माण कार्य में लगे मजदूर कारीगरों का विवरण निर्धारित प्रारूप में आवश्यक रूप से संबंधित थाने पर देंगे.

ऑनलाइन शॉपिंग के उद्देश्य के लिये या अन्य किसी प्रयोजन के लिये होम डिलीवरी या कुरियर में काम करने वाले या किसी होटल आदि में ऑनलाईन ऑर्डर घर-घर जाकर सप्लाई करने वाली प्रतिष्ठानों के लिए कार्य करने वाले ऐसे व्यक्तियों की सूचना जो डिलवरी करने जाते है संलग्न विहिप प्रारूप में दिए जाकर उनके पहचान से संबंधित दस्तावेज संलग्न दिए जाए. यह आदेश जारी दिनांक से आगामी दो माह तक प्रभावशील रहेगा.

एसआईआर मतदाता सूची से वंचितों को भेजे नोटिस

भोपाल, 15 जनवरी. भोपाल में एसआईआर मतदाता सूची से वंचित मतदाताओं का नोटिस का कार्य निरंतर जारी है, जिससे मतदाता वंचित रहे मतदाताओं के नाम जुड़ सके. इसके लिए निर्वाचन कार्यालय के आदेश पर प्रत्येक वार्ड में एक राजस्व कर्मचारी पदस्थ किया गया है जो मतदाताओं से दस्तावेज लेकर नाम जोड़ने का कार्य कर रहे हैं.

एसआईआर का काम 14 दिसंबर 2025 के बाद बंद कर दिया गया था. स्क्रूटनी के बाद वंचित 116925 पाए गए. जो अपना जन्म से संबंधित वेध दस्तावेज जमा नहीं कर सके थे,.उनमें से 89043 मतदाताओं को नोटिस जारी किए जा चुके हैं जो 27882 नाम बचे उनको भी जल्द ही नोटिस जारी की प्रक्रिया चल रही है. जिन मतदाताओं को नोटिस जारी किए गए है उनमें से 14649 ने अपने वार्ड कार्यालय में दस्तावेज जमा कर दिए हैं. इस प्रकिया के लिए14 फरवरी अंतिम समय सीमा दी गई है.

6 चोरों को गिरफ्तार कर गहने किए जब्त

नवभारत रिपोर्टर

भोपाल, 15 जनवरी. बागसेवनिया थाना पुलिस ने सूने मकानों में रेकी कर चोरी की वारदात करने वाले छः शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपियों के पास से चोरी के आभूषण बरामद किए हैं, जिसकी कीमत लगभग 12 लाख रूपये है. घटना में प्रयुक्त दो वाहन को भी जब्त किया है.

मिली जानकारी के अनुसार फरियादी विष्णु पारीक (32) निवासी गुलाबी नगर फेज 2 ने रिपोर्ट दर्ज कराई. फरियादी ने बताया कि बीते 17 दिसंबर को उनका परिवार शहर से बाहर गया था. 23 दिसंबर को घर पहुंचने पर विष्णु ने देखा कि मेन गेट का ताला टूटा था. अंदर के सभी दरवाजे खुले थे और अलमारी के ताला टूटा मिला और पूरा सामान बिखरा था.

आलमारी में रखी ज्वैलरी सहित अन्य कीमती सामान अज्ञात चोर ले गए. फरियादी ने मामले की शिकायत तुंरत थाने में की. एक अन्य फरियादी विजय मोहन चौधरी (63) ने भी घर में चोरी की वारदात को लेकर 24 सितंबर को दर्ज कराई थी. दोनों ही मामलों को संज्ञान में लेकर पुलिस चोरों की तलाश कर रही थी.

तकनीकी साक्ष्य और लगभग 50 सीसीटीव्ही कैमरों की फुटेज चेक करने के बाद पुलिस ने छः संदिग्धों की पहचान की. आरोपियों राहुल उर्फ सत्यम केवट, आयुष विश्वकर्मा, अण्णा साहेब, अंकुश अहिरवार, विशाल विश्वकर्मा और विशाल पवार से पुलिस ने पूछताछ की. आरोपियों ने मकानों में चोरी की वारदात को स्वीकार की. पुलिस ने आरोपियों के पास चोरी के आभूषणों को जब्त कर कार्रवाई की.

युवक पर बदमाशों ने चाकू से किया हमला, प्रकरण दर्ज

नवभारत रिपोर्टर

भोपाल, 15 जनवरी. निशातपुरा थाना इलाके में एक युवक पर करीब 5 से 6 की संख्या में बदमाशों ने चाकू से जानलेवा हमला कर दिया. गंभीर रूप से घायल को अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उनका इलाज जारी है. हमलावर मौके से फरार हो गए. पुलिस मामले की जांच करते हुए बदमाशों की तलाश कर रही है.

फरियादी इरफान ने पुलिस को बताया कि वह फेयरवेल पार्टी में शामिल होने गया था. रास्ते में उसकी रेहान नाम के युवक से कहासुनी हो गई. रेहान ने गाली-गलौज करते हुए इरफान के साथ मारपीट करनी शुरू कर दी. इस दौरान रेहान के 5 से 6 की संख्या में साथी वहां पहुंच गए. बदमाशों ने इस दौरान इरफान पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया, जिससे इरफान गंभीर रूप से घायल हो गया. वारदात के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए. घायल को तुरंत ही अस्पताल में भर्ती कराया गया. पुलिस ने मामला दर्ज किया.

कॉलेज के छात्रों ने युवक पर किया हमला

कोकता स्थित निजी कॉलेज का मामला, गंभीर का इलाज जारी

नवभारत रिपोर्टर

भोपाल, 15 जनवरी. कोकता स्थित एक निजी कॉलेज के छात्रों ने गुरूवार को परिसर के बाहर एक युवक के साथ मारपीट करते हुए हमला कर दिया. आरोप है कि छात्रों ने युवक के पेट पर चाकू से भी वार किया, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. मौके पर पहुंची बिलखिरिया थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

सामने आई जानकारी के अनुसार कॉलेज के छात्रों ने जिस युवक पर हमला किया वह कॉलेज की ही एक छात्रा से अक्सर मिलने के लिए आता था. घायल युवक को लेकर यह बात सामने आई है कि वह अपने परिचय की छात्रा को जबरदस्ती साथ लेकर जाने के लिए बोल रहा था. छात्रा के लगातार साथ में नहीं चलने की बात पर घायल युवक उस पर एसिड़ फेंकने की भी बात बोल रहा था. युवक के अलग बर्ताव को लेकर कॉलेज के छात्रों ने उस पर हमला कर दिया. इस हमले के चलते घटना स्थल पर घायल युवक देर तक पड़ा रहा. घायल के होश में आने पर पुलिस की पूछताछ में उसने अपना नाम लक्की अहिरवार और निवासी मंडीदीप का बताया है. युवक पर कितने छात्रों ने मिलकर हमला किया फिलहाल इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है. पुलिस आरोपी छात्रों की पहचान करने में जुटी है.

शिकायत परवलिया सड़क थाना और ईटखेड़ी पुलिस ने किए मामले दर्ज

अवैध कॉलोनी निर्माण के मामले में दो थानों में केस दर्ज

नवभारत रिपोर्टर

भोपाल, 15 जनवरी. परवलिया सड़क थाना और ईटखेड़ी पुलिस ने बिना वैधानिक स्वीकृति कॉलोनी विकसित करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है.

जानकारी के अनुसार थाना परवलिया सड़क क्षेत्र के तहत ग्राम कुराना में सक्षम प्राधिकारी की अनुमति और कॉलोनाइजर पंजीयन के बिना कॉलोनी विकसित किए जाने के मामले में कार्रवाई की गई. मामले की शिकायत पर जांच के बाद आरोपी अहमद अनीश, अयमन अनीश, सालेह अनीश (निवासी परवलिया सड़क), आसिफ खान (निवासी ऐशबाग), अमजद अनीश (निवासी परवलिया सड़क) एवं अनीस अहमद (निवासी भोपाल) के खिलाफ केस दर्ज किया गया है. इसके साथ थाना ईटखेड़ी क्षेत्र के तहत ग्राम जगदीशपुर, अरवलिया, हज्जामपुर और अचारपुरा में अवैध कॉलोनी निर्माण के मामलों में प्राप्त शिकायतों पर जांच की गई. जांच के बाद आरोपी सीमा हफिज, शाहिद हफिज, आमिर हफिज, तस्नीम आसिफ, मो. साहब अख्तर (निवासी शाहजहानाबाद), सैयद फारूक अली (निवासी पीर गेट), मो. शाहिद, चंदा, मो. अलीम (निवासी जहांगीराबाद), मो. आसिफ (निवासी एयरपोर्ट रोड), शगुप्ता अंसारी, नौशीन अंसारी, आतिफ अंसारी, हमजा अंसारी (निवासी शाहजहानाबाद), वीर सिंह ठाकुर (निवासी अरवलिया), मो. नसीम, मो. राशिद, मो. उबेद, मो. अलीम, मो. शोएब, मो. उवैस, मो. जहूर एवं आयशा, नाज (निवासी न्यू कोतवाली रोड, भोपाल) के खिलाफ केस दर्ज किया गया है. पुलिस की जांच में यह स्पष्ट हुआ कि संबंधित भूमि पर न तो कॉलोनी विकास की वैधानिक स्वीकृति मिली थी और न ही कॉलोनाइजर का अनिवार्य पंजीयन कराया गया था. यह कार्रवाई जिला कलेक्टर भोपाल के आदेशों के अनुपालन में की गई है.